न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1244–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–3–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर प्रकरण क्रमांक 329/अपील/2013–14.

मुकामसिंह पिता स्व0श्री मोतीसिह भिलाला
निवासी ग्राम भोरदू तह. व जिला अलीराजपुर ....आवेदक

विरूद्ध

1–इन्दरसिंह पिता स्व0श्री मालसिंह भिलाला,
2–रघुनाथसिंह पिता श्री इन्दरसिंह भिलाला
3–मगनसिंह पिता स्व0 श्री मालसिंह भिलाला
4–छगनसिंह पिता स्व0श्री मालसिंह भिलाला
5–थानसिंह पिता श्री इंदरसिंह भिलाला
सभी निवासी ग्राम भोरदू तह. व जिला अलीराजपुर ....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री गौरव सक्सैना, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1, 3, 4 व 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक थानसिंह एवं अन्य के द्वारा नायब तहसीलदार अलीराजपुर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भोरदू स्थित कृषि भूमि खाता कमांक 147 कुल सर्वे नम्बर 17 रकबा 10.17 हेक्टेयर भूमि राजबाई पिता जयराम एवं रघुनाथसिंह पिता श्री इन्दरसिंह भिलाला के नाम से संयुक्त स्वामित्व पर अंकित थी । राजबाई की मृत्यु के उपरांत अनावेदक कमांक 2 रघुनाथसिंह द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर अपना नाम दर्ज करा लिया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उनका

नाम भी दर्ज किया जाये । नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 08/अ–6/2011–12 दर्ज कर दिनांक 4–4–2013 को आदेश पारित करते हुये प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–6–2014 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 23–6–2014 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–3–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध के यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों ने अनावेदक कमांक 2 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में कपटपूर्वक सहखातेदार के रूप में अपना नाम दर्ज कराये जाने के आधार पर मृतक राजबाई का दत्तक पुत्र मानने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, क्योंकि हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 एवं उभयपक्षों की सामाजिक रीति अनुसार अनावेदक कमांक 2 को स्व0राजबाई द्वारा गोदी पुत्र लेना दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं किया गया है ।

(2) स्वर्गीय राजबाई को प्रश्नाधीन भूमि उसके पिता से विरासत में प्राप्त हुई थी और स्व0राजबाई अविवाहित होकर मृत्यु हुई है, ऐसी दशा में आदिवासी रूढि के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पर उसके पिता एवं उनके वारिसान का समान अधिकार रहेगा, इस स्थिति पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है, इसलिये उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया है कि संहिता के अन्तर्गत नामान्तरण नियमों को अनदेखा कर पूर्व में नामान्तरण आदेश पारित किया जाता है और

बिना हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दिये कपटपूर्वक आदेश पारित किया जाता है तो ऐसा आदेश प्रारंभ से ही शून्यवत् रहेगा और उसे किसी भी प्रकम पर चुनौती दी जा सकती है।

(4) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आवेदक की ओर से लिखित पंच निर्णय लेख में त्रुटिवश अलीराजपुर जिला लिखे जाने के आधार पर उसे कूटरचित मानने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का पूर्ण विवेचन नहीं कर मनमाने तौर पर स्वत्व का निर्धारण कर अवैधानिक आदेश पारित किया गया है, जबकि विधि में स्पष्ट प्रावधान है कि स्वत्व के निर्धारण का अधिकार व्यवहार न्यायालय को है, राजस्व न्यायालय को नहीं ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदक की ओर से उठाये गये बिन्दुओं पर अपर आयुक्त द्वारा विचार कर निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, जबकि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप पक्षकारों द्वारा प्रकरण में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर विचार किया जाना विधिक आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–3–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये विधिवत् निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर